स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 216, दिनांक 06—09—2020

सर्राफा व्यापारी की हत्या कर लूट करने की घटना में वांछित व रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी लव सिंह उर्फ नीरज सिंह उर्फ पहलवान गिरफ्तार।

आज दिनांक 06—09—2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद जौनपुर में दिनांक 05—06—2020 को सर्राफा व्यापारी की हत्या कर लूट करने वाले रू0 25,000/—के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी लव सिंह उर्फ नीरज सिंह उर्फ पहलवान को गिरफ्तार करने में उल्लेखऩीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

लव सिंह उर्फ नीरज सिंह उर्फ पहलवान पुत्र स्व0 प्रदीप सिंह उर्फ होसिला सिंह, निवासी काकोरी, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर।

बरामदगीः—

01—डी0एल0 एक अदद।
02—आधार कार्ड एक अदद।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

परमलपट्टी के पास थाना नेवढिया, जनपद जौनपुर। दिनांक 06—09—2020

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी की एक टीम धरातलीय अभिसूचना संकलन हेतु जनपद जौनपुर में मौजूद थी कि आज दिनांक 06—09—2020 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 05—06—2020 को जनपद जौनपुर के थाना नेवढिया क्षेत्रान्तर्गत परमलपट्टी के पास सर्राफा व्यापारी शिवजीत की हत्या कर लूट करने वाले रू0 25,000/—का पुरस्कार घोषित अपराधी लव सिंह उर्फ नीरज सिंह उर्फ पहलवान थाना नेवढिया क्षेत्रान्तर्गत परमलपट्टी बगीचे के पास अपने किसी साथी से मिलने के लिये आया है और खड़ा है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर अपराधी लव सिंह उर्फ नीरज सिंह उर्फ पहलवान को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने दिनांक 05—06—2020 को सांयकाल एक पोखरे पर अपने साथी दीपक, अभिषेक पाण्डेय उर्फ मोगली एवं शिवानन्द उर्फ बाबा को बुलाया था। वहॉ से यह लोग दो मोटरसाइकिलों से लूट के लिये निकले थे। उसकी मोटरसाइकिल पर दीपक और शिवानन्द उर्फ बाबा की मोटरसाइकिल पर अभिषेक पाण्डेय उर्फ मोगली बैठा था। यह लोग परमलपट्टी के आगे दो मंजिला मकान के पास जाकर रूक गये थे कि थोड़ी देर बाद ही

परमलपट्टी की ओर से सर्राफा व्यापारी शिवजीत अपनी मोटरसाइकिल से आया और नेवादा की ओर जा रहा था कि थोडी दूर आगे सडक के तिराहे के पास हम लोगों द्वारा उसे रोक लिया और वह उससे बैग छीनने लगा, परन्तु सर्राफा व्यापारी द्वारा विरोध किये जाने पर उसने ने सर्राफा व्यापारी को गोली मार दी थी और बैग छीनकर हम लोग मौके से फरार हो गये थे। वह तभी से फरार चल रहा था कि आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को उपरोक्त घटना में जनपद जौनपुर के थाना नेवढिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/20 धारा 392/302 भादवि में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।